न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/52/2020	2020/00114	02.09.2020	19.09.2022

01. गिर्राज पुत्र जगमालसिंह जाति अहीर निवासी शाजहांपुर तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।

—अपीलांट

बनाम

01. सरकार जरिये नायब तहसीलदार नीमराना, जिला अलवर राज0।

—रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार नीमराना दिनांक 11.08.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 20/2020

उपस्थितः—

02. श्री रामेश्वरदयाल —**वकील अपीलांट**

—:निर्णयः—

अपीलांट ने यह अपील नायब तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 11.08.2020 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम शाजहांपुर के आराजी खसरा नम्बर 1818 रकबा 0.33 है0 0.01 है0 किस्म बंजड भूमि पर अवैध कब्जा करने पर अतिक्रमी मानकर बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम शाजहांपुर के आराजी खसरा नम्बर 1818 रकबा 0.33 है0 0.01 है0 किस्म बंजड भूमि पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 14.07.2020 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बेदखली व पैनल्टी से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा खसरा नं0 1818 रकबा 0.33 है0 में से 0.01 है0 पर टीनशैड लगा रखे है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पट्टाभिलेख व बयनामें की प्रति पेश की गयी तथा अन्य दस्तावेज पेश करने हेतु समय चाहा गया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई तारीख पेशी नहीं बताई गयी तथा बिना सुने ही निर्णय पारित कर दिया गया। आराजी हाल खसरा नम्बर 1818 वाके ग्राम ग्राम शाजहांपुर के साबिक खसरा नम्बर 1310 था। खसरा नम्बर 1310 में से ग्राम पचायत शाहजहांपुर ने आवासीय भूमि के पट्टे जारी किये गये। जिसमें एक पट्टा दि0 26.05.1986 को लक्ष्मीनारायण पुत्र रामजीलाल निवासी शाहजहांपुर को 15 गुणा 10 का जारी किया गया था। उक्त प्लॉट बाबत पूर्व में पटवारी हल्का द्वारा लक्ष्मीनारायण के विरूद्ध धारा 91 एलआरएक्ट का नोटिस दिया। जिस पर तहसीलदार द्वारा लक्ष्मीनारायण को बेदखल करने के आदेश पारित किये गये थे जिसके विरूद्ध लक्ष्मीनारायण ने न्यायालय श्रीमान् के यहां अपील दर्ज की गयी थी जो अपील खारिज कर दी गयी। जिसके विरूद्ध अपीलाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की गयी जो स्वीकार की गयी। तहसीलदार बहरोड को पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। तहसीलदार बहरोड ने सुनवाई करने के बाद लक्ष्मीनारायण के विरूद्ध दिये गये नोटिस को निरस्त कर दिया तथा निर्णय में माना की उक्त भूमि उसके पट्टे की जमीन थी जो ग्राम पंचायत द्वारा उसे जारी किया गया है। उक्त निर्णय तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.05.1985 को किया गया। सिविल न्यायालय में उक्त आराजी बाबत मुकदमा दायर किया गया जो दि0 29.07.1996 को डिक्री कर दिया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बयनामा व पट्टे की प्रति पेश करने के बावजूद भी अपीलांट को बिना सुने अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 11.08.2020 अपास्त फरमाया जावें।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलांट द्वारा आवासीय भूखण्ड का पट्टाविलेख व पंजीकृत बयनामा की प्रति पेश की गयी है जिसमें खसरा नम्बर अंकित नहीं होने के कारण पट्टा

जिला कलक्टर, अलवर

किस जगह का है स्पष्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय से पुनः रिपोर्ट तलब की गयी। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त दुकान बाबत प्रार्थी के पास खसरा नम्बर 1818 में 1 ऐयर का पट्टा पाया गया है। मौके पर पट्टे में वर्णित भूमि पर दुकान बनी हुई है। दुकान के अलावा दुकान के सामने टीनशैड डाली हुई है जो पट्टे की भूमि से अतिरिक्त रकबा है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमराना से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा पट्टे के अतिरिक्त राजकीय भूमि पर टीनशैड लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार नीमराना का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)